सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर

स्वैच्छिक देहदान प्रपत्र

फोटो दानदाता

(एक अतिरिक्त फोटो साथ लाये)

1 मैं.....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी.....
आयु.....निवासी.....अपनी.....स्वेच्छा से अपने पूर्ण होशोहवास एवं बिना किसी नशे पते के सशपथ घोषणा करता हूँ कि मरणोपरांत मेरी मृत देह शरीर रचना (एनोटोमी) विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु दान मे दे दी जाए |

2 मेरे निकटतम सम्बन्धी का नाम पता है :
नाम .....
पता .....
दूरभाष .....
मोबाइल नंबर .....

हस्ताक्षर
(घोषणाकर्ता)
नाम.....
पता.....
थाना क्षेत्र .....
दूरभाष.....
मोबाइल नंबर.....

3. साक्षी
हस्ताक्षर
नाम व पता
दूरभाष न.
मोबाइल न.

4. साक्षी
हस्ताक्षर
नाम व पता
दूरभाष न.
मोबाइल न.

कार्यालय प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविहालय ,जयपुर

देहदान सम्बन्धी दिशा निर्देश

1. देहदान की सूचना 24 घंटे मे कभी भी संपर्क सूत्र को दी जा सकती है | देह समर्पित करने का सम्मानजनक व सुविधाजनक समय सूर्योदय व सूर्यास्त के पहले होता है (सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक)
2. मृत्युपरांत देह को सुरक्षित रखना आवश्यक है | 5 से 6 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर देह को कूलिंग चैम्बर मे रखना अनिवार्य होता है अन्यथा देह ख़राब होने की संभावना रहती है | कुलिंग चैम्बर की व्यवस्था के लिए सम्बंधित अस्पताल / मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी कुलिंग चैम्बर मे रखने के लिए संपर्क किया जा सकता है | जयपुर मे NGO जाग्रति संस्थान के द्वारा निवास पर भी निःशुल्क कुलिंग चैम्बर उपलब्ध कराया जाता है | जिनके मोबाइल न. ---9314353037, 9314353046, 9314253031, 9829053031
3. देहदान का प्रपत्र निःशुल्क सम्बंधित मेडिकल कॉलेज की सामान्य शाखा / एनाटोमी विभाग, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है | देहदान के प्रपत्र मे साक्षी नजदीकी रक्त सम्बन्धी पति/ पत्नी /पुत्र /पुत्री/भाई बहिन की सहमति होनी आवश्यक है | यदि कोई नजदीकी रक्त सम्बन्धी नहीं है तो निकटतम सम्बन्धी की सहमती होना आवश्यक है | मूल प्रपत्र शरीर रचना विभाग (एनाटोमी विभाग) के कार्यालय मे जमा करवाकर देह दान कार्ड प्राप्त करे |
4. प्रथम चरण मे शहर के म्युनिसिपल क्षेत्र के अंदर , जहा मेडिकल कॉलेज स्थित है वहां पर देह लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा भी की जाती है | इसके लिए संपर्क सूत्र पर संपर्क करे|
5. देहदान मैं आने वाली देह मेडिकल छात्रो के अध्ययन (dissection) के काम ली जाती है |इसके लिया देह को सुरक्षित करने के लिए दवाईयों द्वारा Embalming की जाती है | निम्न परिस्थितियों मैं देह की उचित Emblaming नहीं होने के कारन अध्ययन (dissection) के काम मे नहीं लिया जा सकता इसलिए निम्न कारणों मे देह दान स्वीकार्य नहीं किया जा सकेगा |
    - क्षत विक्षत एवं गली देह
    - जली हुई देह
    - अत्यधिक संक्रमित देह
    - अत्यधिक मोटी (Obese), कृशकाय (Emaciated)
    - कीमोथेरेपी व raddiotherepy लिए हुए कैंसर की देह
    - मेडिको लीगल केसेस

देह दान करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि देह उपरोक्त श्रेणी मे नहीं आती है एवं देहदान के लिए उपयुक्त है | इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय एनाटोमी विभागाध्यक्ष का रहेगा |

6. देह दान के पश्चात् मृत देह पर उनके संबंधियों व अन्य किसी का अधिकार नहीं होगा |
7. संपर्क सूत्र -

सवाई मानसिंह चिकित्सालय ,जयपुर-- 0141-2560291, 2518222,2518422 ext. 222, 422 .

देह दान समिति, एनाटॉमी विभाग जयपुर-

डॉ. संगीता चौहान, विभागाध्यक्ष - 9928520729

डॉ. धीरज सक्सेना–9414241375 , डॉ. सुमित बबुता– 9829815991

निकटतम सम्बंधित अस्पताल अधीक्षक एवं प्राचार्य मेडिकल कॉलेज से भी संपर्क किया जा सकता है |